

धारा 6 : कतिपय परिस्थितियों में राज्य कर अधिकारियों या संघ राज्यक्षेत्र कर अधिकारियों को उचित अधिकारी के रूप में प्राधिकार देना

- (1) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करेगी, उचित अधिकारी के रूप में प्राधिकृत है।
- (2) उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए—
 - (क) जहां कोई उचित अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन कोई आदेश जारी करता है, वहां वह राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के अधिकारिता अधिकारी को प्रज्ञापना के अधीन, यथास्थिति, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम द्वारा यथा प्राधिकृत आदेश भी जारी करेगा;
 - (ख) जहां राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन किसी उचित अधिकारी ने किसी विषय-वस्तु पर कोई कार्यवाहियां आरंभ की हैं, वहां उचित अधिकारी द्वारा उसी विषय-वस्तु पर इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाहियों आरम्भ नहीं की जाएंगी।
- (3) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश की परिशुद्धि, अपील और पुनरीक्षण, जहां-कहीं लागू हों, के लिए कोई कार्यवाहियां राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी के समक्ष नहीं लाई जाएंगी।